न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 60/2018

1 पूर्ण उम्र 70 साल पुत्र पदमा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सैनीपुरा (बड़ागांव) तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 ओमप्रकाश उम्र 63 .साल पुत्र पदमा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सैनीपुरा (बड़ागांव) तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मनीराम पुत्र पदमा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सैनीपुरा (बड़ागांव) तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
2 नत्थू पुत्र पदमा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सैनीपुरा (बड़ागांव) तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 तहसीलदार भूमिधारक, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 राजस्थान ग्रामीण बैंक बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. जरिये शाखा प्रबंधक

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू दावा उनवानी मनीराम बनाम पूर्ण वगै. बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 374/2012 निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 13.06.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 374/2012 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनीराम ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 4 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां जमीन हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 2.51 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 10 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल 2.59 हैक्टेयर सरहद मौजा सैनीपुरा, पटवार हल्का बड़ागांव तहत तहसील उदयपुरवाटी के सम्बन्ध में बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.04.2018 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया और इसके बाद निर्णय दिनांक 13.06.2018 के द्वारा निर्णित कर अन्तिम रूप से डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया था। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वयं मौका पर नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

जाकर विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का द्वारा तैयार करवाकर भिजवाये गये है। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की वृहद पीठ द्वारा सर्क्यूलेट निर्णय उनवानी कैलाश बनाम महेश वगैर आरबीजे 2017 पेज 299 में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना किये बिना ही निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित किया है। जो विधि सम्मत नहीं है। जमीन खसरा नम्बर 9 के मध्य में पुख्ता चाह बनी हुई है। जमीन खसरा नम्बर 9 का उत्तरी हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा दक्षिणी हिस्सा अपीलान्टस के कब्जे में है। अपीलान्ट के कब्जे की भूमि के बीच से कुयें तक शामलाती रास्ता है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के कब्जे की कृषि भूमि के मध्य मौके पर सींव कायम है जो देखने मात्र से स्पष्ट होती है अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने हिस्से की जमीन में रिहायश, पशुधन, चारा इत्यादि के लिये पुख्ता तथा झुंपा बना रखे है। रेस्पोडेन्ट मनीराम ने अपने सशपथ बयानों की जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का मौके पर 35 साल से बंटवारा कर रखा है। उक्त रेस्पोडेन्टस ने जमीन के मध्य में कुआ बना होना तथा कुये तक आठ फीट रास्ता मौजुद होना भी स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नत्थूराम की तरफ से विचारण न्यायालय के समक्ष जो सशपथ साक्ष्य पेश हुई उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि मौके पर जमीन जैर बहस खसरा नम्बर 9 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर नत्थूराम तथा उतरी पूर्वी कोने पर मनीराम व दक्षिणी पश्चिमी कोने पर अपीलान्ट ओमप्रकाश तथा पूर्वी दक्षिणी कोने पर अपीलान्ट पूर्ण का भौतिक कब्जा काश्त है और अपीलान्टस के कब्जे की भूमि के बीच से पुख्ता चाह तक रास्ता मौजुद है। विचारण न्यायालय ने गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर गलत निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 एलबी पेज 299,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

आरआरटी 2016–17 सप्ली. पेज 711, आरआरडी 2019 पेज 206, आरबीजे 2023 पेज 29 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। इस डिक्री में वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार डिक्री जारी नहीं की गई है। अपितु मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अंतिम डिक्री जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। इस डिक्री में वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार डिक्री जारी नहीं की गई है। अपितु मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अंतिम डिक्री जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर